प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक 18.03.2026 को आयोजित बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत टाईप-II आदेशों के अनुपालन की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

1. जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पूर्णिया।
2. अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, कटिहार सदर।
3. अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बारसोई।
4. अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, किशनगंज।
5. अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बनमनखी।
6. अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पूर्णिया सदर।
7. अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अररिया।

सर्वप्रथम प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की महत्ता को विस्तार से बताते हुए जिलावार प्रतिवेदनों की समीक्षा की गयी। प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि अधिकांश मामलों में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत अभिरूचि न लेते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है। खासकर जमीनी मामलें तथा न्यायालय संबंधी मामलों में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के स्तर से गैर जिम्मेदार तरीके से परिवादी के परिवाद को निरस्त कर वाद की कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम आम जनता के समस्याओं के निपटारा करने के लिए सरकार द्वारा बनाया गया बहुत ही उपयोगी अधिनियम है। अतः ऐसी स्थिति में सभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को इस अधिनियम के प्रति गंभीर एवं संवेदनशील होते हुए परिवादी के परिवाद का निस्तारण ससमय किया जाना चाहिए। जिलावार समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिया गया है :-

1. प्रमण्डलीय आयुक्त-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा निर्गत Type-II conditional order में अनुपालन की स्थिति :-

क्र0सं0	जिला का नाम	प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया द्वारा दिये गये अनुपालन हेतु आदेश की संख्या	प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह- प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया द्वारा दिये गये अनुपालन के आलोक में निष्पादित मामलों की संख्या	प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह- प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया द्वारा दिये गये अनुपालन के आलोक में लंबित मामलों की संख्या	विगत माह में प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया द्वारा दिये गये अनुपालन के आलोक में लंबित मामलों की संख्या
1	पूर्णिया	198	93	105	105
2	कटिहार	159	80	79	115
3	अररिया	177	115	62	74
4	किशनगंज	84	79	03	05

प्रमण्डलीय आयुक्त-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा निर्गत Type-II conditional order में अनुपालन हेतु लंबित मामलों की संख्या जिलावार पूर्णिया, कटिहार, अररिया एवं किशनगंज में क्रमशः 198, 159, 177 एवं 84 है। विगत माह से अबतक पूर्णिया जिला में शून्य, कटिहार जिला में 36, अररिया में 12 एवं किशनगंज में 02 मामले का निष्पादन किया गया। उक्त से स्पष्ट है कि पूर्णिया जिला द्वारा अपने कार्यों में रूचि नहीं ली जा रही है। जो अत्यंत खेदजनक है। सभी लोक शिकायत निवारण

पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि प्रमण्डलीय आयुक्त-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा निर्गत Type-II conditional order के संबंध में व्यक्तिगत रूचि लेकर सभी Type-II conditional order का अनुपालन लोक प्राधिकार द्वारा कराते हुए यथाशीध्र समेकित अनुपालन प्रतिवेदन आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया में उपलब्ध कराया जाय।

2. सभी जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के Type-II conditional order का प्रतिवेदन निम्नांकित है:-

क्र0 सं0	जिला का नाम	लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी	कुल Type-II conditional order की संख्या	कुल Type-II conditional order के निष्पादित मामले की संख्या	कुल लंबित Type-II conditional order की संख्या	विगत माह में लंबित Type-II conditional order की संख्या
1	पूर्णिया	जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पूर्णिया	59	27	32	33
		अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सदर पूर्णिया	179	103	76	118
		अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बनमनखी	35	35	0	0
		अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, धमदाहा	96	54	42	45
		अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बायसी	108	46	62	68
2	कटिहार	जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, कटिहार	215	153	62	62
		अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, कटिहार	60	60	0	0
		अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बारसोई	59	38	21	21
		अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मनिहारी	23	8	15	15
3	अररिया	जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अररिया	524	524	0	0
		अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अररिया	1353	1353	0	0
		अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, फारबिसगंज	948	948	0	0
4	किशनगंज	जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, किशनगंज	19	18	01	01
		अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, किशनगंज	82	82	0	0

समीक्षा में अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बनमनखी का प्रतिवेदन संतोषप्रद पाया गया इनके अलावे अन्य का कार्यशैली लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के विपरित पाया गया। उनके द्वारा अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरती जा रही है या इसमें व्यक्तिगत रूचि नहीं ली जा रही है। अररिया जिला का प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा सही प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है। इससे प्रतीत होता है कि वे अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत पूर्व के आदेश को समझे नहीं या Type-II conditional order का जानकारी नहीं है। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अररिया, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अररिया, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, फारबिसगंज इस संबंध में एक सप्ताह के अन्दर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करेंगे। आज के बैठक में जो पदाधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना अथवा उचित कारण से अनुपस्थित है। उन्हें अनुपिस्थित का कारण स्पष्ट करने का निदेश दिया जाता है। सभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अपने कार्यालय द्वारा पारित Type-II conditional order की नियमित समीक्षा कर लोक प्राधिकार से इसका अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के ई-मेल पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

अंत में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

ह० /-
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक....................../लो0शि0नि0, पूर्णिया, दिनांक ....

प्रतिलिपि :- अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पूर्णिया सदर, बायसी, धमदाहा, बनमनखी/कटिहार सदर, मनिहारी, बारसोई/अररिया, फारबिसगंज/किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह० /-
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक....1593..../लो0शि0नि0, पूर्णिया, दिनांक ..19/03/2026

प्रतिलिपि :- समाहर्त्ता, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rajek.
18/3/26.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।